न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 37/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 26.03.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

विष्णु प्रसाद आत्मज रामेश्वर जाति धाकड़, निवासी ग्राम मेहराना, तहसील दीगोद, जिला कोटा

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार सुल्तानपुर, जिला कोटा

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 24.12.2024

अपीलांट ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 21/2022 बउनवान विष्णु प्रसाद बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार सुल्तानपुर द्वारा पटवारी हल्का ग्राम महराना की भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 22/धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट विष्णु प्रसाद पुत्र रामेश्वर जाति धाकड़ निवासी महराना द्वारा ग्राम महराना की आराजी खसरा सं0 159 रकबा 0.06 है0 किस्म भूमि गै0मु0 बेहड़ पर टीनशेड व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। न्यायालय नायब तहसीलदार सुल्तानपुर द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलांट अतिक्रमित भूमि पर मालिकाना हक साबित करने के संबंध में कोई जवाब साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किये जाने से अतिक्रमी घोषित करते हुए 102 रूपये शास्ति से आरोपित किये जाकर अतिक्रमि को मौके से बेदखली कर अतिक्रमण हटाने का निर्णय दिनांक 29.03.2022 पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा को अपील पेश किये जाने पर प्रकरण में निर्णय दिनांक 27.05.2022 से अपील अपीलांट खारिज की गई। उक्त हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायलय से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से अपास्त योग्य हैं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट को बेदखल करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट का अपने पूर्वजों के समय लगभग 70–80 वर्षों से वर्णित आराजी पर निरंतर कृषि कार्य खलिहान के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। किंतु फिर भी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पट्टा प्राप्त करने का

24/12/2024

अधिकारी होने के बावजूद भी बेदखली का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 एलआरएक्ट की पालना किये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध बेदखली के आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलांट के कब्जे वाली आराजी आबादी से घिरी हुई है तथा आबादी के आस–पास ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे के लिये कार्यवाही कर रखी है, किंतु फिर भी बेदखली का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर हरदो अधीनस्थ न्यायालय निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट को बेदखल करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। जबकि अपीलांट का अपने पूर्वजों के समय लगभग 70–80 वर्षों से वर्णित आराजी पर निरंतर कृषि कार्य खलिहान के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी होने के बावजूद भी बेदखली का आदेश प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 एलआरएक्ट की पालना किये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध बेदखली के आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलांट के कब्जे वाली आराजी आबादी से घिरी हुई है तथा आबादी के आस–पास ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे के लिये कार्यवाही कर रखी है, किंतु फिर भी बेदखली का आदेश प्रदान कर दिया जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा ग्राम महराना की आराजी खसरा सं0 159 रकबा 0.06 है0 किस्म भूमि गै0मु0 बेहड़ पर टीनेशड व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने पर न्यायालय नायब तहसीलदार सुल्तानपुर द्वारा अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर मालिकाना हक साबित करने के संबंध में कोई जवाब साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किये जाने से अतिक्रमी घोषित करते हुए 102 रूपये शास्ति से आरोपित किये जाकर मौके से बेदखली कर अतिक्रमण हटाने का निर्णय दिनांक 29.03.2022 पारित किया गया है, जो न्यायोचित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा द्वारा भी प्रकरण में अपीलांट को पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए जेरअपील निर्णय दिनांक 27.05.2022 पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित उक्त हरदो निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय नायब तहसीलदार सुल्तानपुर द्वारा पटवारी हल्का ग्राम महराना की भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 22/धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट विष्णु प्रसाद पुत्र रामेश्वर जाति धाकड़ निवासी महराना द्वारा ग्राम महराना की आराजी खसरा सं0 159 रकबा 0.06 है0 किस्म भूमि गै0मु0 बेहड़ पर टीनशेड व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करना मानते हुए तथा अपीलांट अतिक्रमित भूमि पर मालिकाना हक साबित करने के संबंध में कोई जवाब साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किये जाने से अतिक्रमी घोषित

24/12/2024

करते हुए 102 रूपये शास्ति से आरोपित किये जाकर अतिक्रमि को मौके से बेदखली कर अतिक्रमण हटाने का निर्णय दिनांक 29.03.2022 पारित किया गया। अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा को अपील पेश किये जाने पर प्रकरण में निर्णय दिनांक 27.05.2022 से अपील अपीलांट खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 एलआरएक्ट की पालना किये बिना ही समुचित रूप से तामील किये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध बेदखली के आदेश प्रदान किया गया है। जबकि अपीलांट के कब्जे वाली आराजी आबादी से घिरी हुई है तथा आबादी के आस–पास ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे के लिये कार्यवाही कर रखी है। अपीलांट का अपने पूर्वजों के समय लगभग 70–80 वर्षों से वर्णित आराजी पर निरंतर कृषि कार्य खलिहान के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी होने के बावजूद भी बेदखली का आदेश प्रदान कर दिया। इसके विपरित रेस्पो0 पेरोकार सरकार का तर्क है कि अपीलांट द्वारा ग्राम महराना की आराजी खसरा सं0 159 रकबा 0.06 है0 किस्म भूमि गै0मु0 बेहड़ पर टीनशेड व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने पर न्यायालय नायब तहसीलदार सुल्तानपुर द्वारा अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर मालिकाना हक साबित करने के संबंध में कोई जवाब साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किये जाने से अतिक्रमी घोषित करते हुए 102 रूपये शास्ति से आरोपित किये जाकर मौके से बेदखली कर अतिक्रमण हटाने का निर्णय दिनांक 29.03.2022 पारित किया गया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रकरण में अपीलांट को पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट के उपरोक्त तर्कों के संबंध में अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, कोटा द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि विचारण न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्ध वाके ग्राम महराना की राजकीय सिवायचक गै0मु0बेहड की भूमि खसरा सं0 159 रकबा 0.06 हैक्टेयर पर अतिक्रमण करने पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपीलांट को सुनवाई हेतु विधिवत पश्चात्वर्ती अतिक्रमण का नोटिस जारी किया गया तथा स्वयं अपीलांट/प्रार्थी विचारण न्यायालय में उपस्थित हुआ था तथा उक्त अतिक्रमित भूमि पर मालिकाना हक साबित करने हेतु अपीलांट को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा द्वारा भी प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर एवं अपने मालिकाना हक साबित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत तामील उपरांत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्रकट होता है तथा अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में भी लम्बे समय से कब्जे होने संबंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे अपीलांट के कथनों की पुष्टि होती हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 27.05.2022 में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

6 निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

24/12/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा